

कार्यालय आदेश सं० ई/राज/सीएमपी/416/11-2021

निम्नलिखित आदेश सेवा अवधि विस्तार/स्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होने हेतु जारी किया जाता है :-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम (S/Smt)	पद/वर्तमान पदस्थापना स्थान	पिछले टर्म की अवधि	अभियुक्ति
01.	Dr. K. C. Prasad	CMP/KTH HU	14.09.20 (FN) to 13.09.21 (AN) 09 th Term	For 10 th term (09 th extension), for one year from the date of joining or till availability of regular Doctor.

उपरोक्त संविदा का अवधि विस्तार व०मं०वि०प्र०/धनबाद द्वारा वित्तीय सहमति एवं मं०रे०प्र०/धनबाद के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

- पूर्णकालिक संविदा के आधार पर अवधि विस्तार हेतु उपरोक्त सीएमपी/जीडीएमओ के इंगित अगले टर्म के लिए इंगित स्थान पर योगदान की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित चिकित्सक की उपलब्धता, इनमें से जो पहले हो, तक मान्य होगा। (संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं० 2018/Trans.Cell/Health/CMP & PTDS dt. 06.06.2018) और 2020/E/(GR)II/1/3 dt. 12.05.2021.
- पदभार ग्रहण रिपोर्ट समय से मं०रे०प्र०(का०)/पूमरे/धनबाद एवं संबंधित बिल अनुभाग को भेजें।
- रेल परिसद द्वारा समय-समय पर जारी दिषा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- उपरोक्त चिकित्सको की तैनाती से पूर्व करारनामा, संबंधित मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किए जाने से संबंधित दस्तावेज की प्रति इस कार्यालय में अद्यतन एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाए।
- उपरोक्त चिकित्सकों का पारिश्रमिक भुगतान आवंटित निधि से सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आयकर के मद में आवश्यक कटौती सुनिश्चित किया जाए।
- रेलवे आवास से संबंधित मामले का निष्पादन नियमानुसार किया जाए।
- सीएमपी को पारिश्रमिक भुगतान के समय उनके कार्य की अवधि को दृष्टिगत रखा जाए।

कृते वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, धनबाद

धनबाद, दि० 01.11.2021

सं० ई/राज/मेड/सीएमपी/के०सी०पी०

प्रतिलिपि:-

- महाप्रबंधक(का०)/हाजीपुर: के सूचनार्थ।
- मु०चि०नि० एवं विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर।
- मु०कार्याधि०(सा०): मं०रे०प्र०/धनबाद महोदय के सूचनार्थ।
- व०मं०वि०प्र०/धनबाद, मु०चि०अधि०/धनबाद।
- मु०कार्याधि०/वेतन विपत्र (राज)।
- संबंधित अधिकारी।